आयोजनेतर

संख्या: 551/III(2)/07-04(बजट)/2007

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लो०नि०वि० देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 23 अप्रैल, 2007

विषय: वित्तीय वर्ष 2006-07 में राजभवन देहरादून परिसर/राजभवन नैनीताल परिसर के रखरखाव एव मरम्मत हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 78/53 बजट(रा०भ०देहरादून अनु०)/07-08 दिनांक 04.4.2007 एवं संख्या 79/54 बजट(रा०भ०नैनीताल अनु०)/07-08 दिनांक 04.4.2007 के संदर्भ में एवं वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 255/XXVII(1)/07 दिनांक 26 मार्च, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में राजभवन, देहरादून परिसर/राजभवन नैनीताल परिसर के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु (आयोजनेतर) लेखानुदान मद में प्राविधानित धनराशि संलग्न विवरणानुसार क्रमशः रू0 28.25 लाख (रुपये अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार मात्र) एवं रू0 8.33 लाख (रू0 आठ लाख तैंतीस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 36.58 लाख (रू0 छत्तीस लाख अट्ठावन हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यथा आवश्यकता उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जो विगत वर्ष के वास्तविक व्यय के अनुरूप हो और अनुरक्षण लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार ही किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का मासिक आवश्यकता के आधार पर निर्धारित नियमानुसार ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रथमतः वरीयता में चालू/निर्माणाधीन योजनाओं पर ही किया जायेगा। शासन की पूर्वानुमति के बिना नई योजनाओं पर धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। कार्यवार आवंटित धनराशि की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी।

3. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्ण अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाये।व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणन/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

5. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.08 तक पूर्ण उपयोग कर उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

क्रमशः 2

7 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक के अनुदान संख्या 22 लेखाशीर्षक 2059 लोक निर्माण कार्य 01 कार्यालय भवन आयोजनेत्तर 053 रखरखाव तथा मरम्मत (लघु लेखाशीर्षक 052 के स्थान पर) 03 रखरखाव एवं मरम्मत (भारित) 01 राजभवन देहरादून परिसर भवन एवं 02 राजभवन नैनीताल परिसर के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8 यह आदेश वित्त अनुभाग 2 के अशासकीय संख्या यू.ओ. 14 /XXVII (2)/2007 दिनांक 11 अप्रैल, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

संख्या– 554 (1)/III (2)/07, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2 सचिव श्री राज्यपाल सचिवालय देहरादून।
3 आयुक्त गढ़वाल / कुमायूं मंडल पौड़ी / नैनीताल।
4 जिलाधिकारी / कोषाधिकारी देहरादून / नैनीताल।
5 मुख्य अभियन्ता गढ़वाल / कुमायूं क्षेत्र लो०नि०वि० पौड़ी / अल्मोड़ा।
6 निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
7 वित्त अनुभाग 2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8 लोक निर्माण अनुभाग 1 / 3 उत्तराखण्ड शासन / गार्ड बुक।

आज्ञा से

(टी०के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश सं0 851 / III 2/06 04(बजट)/2007 दिनांक 23 अप्रैल 2007 का संलग्नक।

अनुदान संख्या 22

लेखाशीर्षक 2059 राजभवन देहरादून परिसर के रखरखाव तथा मरम्मत (आयोजनेत्तर)

लेखाशीर्षक 2059 0 053 03 01 राजभवन देहरादून परिसर (भारित)

क्रम संख्या	विवरण	आवंटन (लाख रू0 में)
01	25 लघु निर्माण कार्य	6.67
05	29 अनुरक्षण	21.58
	योग —	28.25

2059 01 053 0302 राजभवन नैनीताल परिसर (आयोजनेत्तर) (भारित)

01	29 अनुरक्षण	8.33
	योग —	8.33
	महायोग	36.58

(रू0 छत्तीस लाख अट्ठावन हजार मात्र)

(अरविन्दसिंह ह्यांकी)
अपर सचिव